न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 43/2023

प्रार्थी–

इन्दूबाला, मैनेजर बालोतरा
को–ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी
लि. बालोतरा, तहसील पचपदरा,
जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा
2. श्रीमती देवी पत्नी मोहनलाल जाति सोनी, निवासी समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 29.05.2024

1. प्रार्थीनी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 के विरूद्ध दिनांक 22.10.2021 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 2275 वर्ग फीट दर्शाया गया है, जिसके बदिशा दक्षिण में गली व 35 फीट, उत्तर में आम रास्ता व 35 फीट, पूर्व में राधेश्याम का मकान व 65 फीट, पश्चिम में गली व 65 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थीनी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीनी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया है कि प्रार्थीनी बालोतरा को–आपरेटिव माकेर्टिंग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा, तहसील पचपदरा की मैनेजर है। उक्त सोसायटी की भूमि मौजा समदड़ी में खसरा संख्या 1169/248 रकबा 0.1133 हैक्टेयर गैर मुमकिन गोदाम की आयी हुई है। जिसके पड़ौस व नाप पूर्वी–पश्चिमी भूजा 110 फीट, उत्तरी–दक्षिणी भूजा 110 फीट कुल क्षेत्रफल 12100 वर्गफीट, पड़ौस बदिशा उत्तर में रास्ता व आगे पेट्रोल पंप, बदिशा दक्षिण में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास, बदिशा पूर्व में–सार्वजनिक गली, बदिशा पश्चिम में मैन स्टेशन रोड़ डामर सड़क है। उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थीनी का लगातार कब्जा, स्वामित्व चला आ रहा है। उक्त परिसर के कुछ भाग पर सोसायटी का गोदाम बना हुआ है एवं शेष भूमि खाली है। जिस पर सोसायटी का निर्बाध रूप से कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। सोसायटी को श्रीमान जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा अपने आदेश कमांक एफ-12(3)(15) राज/77-81/2086 दिनांक 01.03.1990 के खसरा संख्या 248/556 में 110×110 वर्गफीट भूमि सोसायटी के गोदाम हेतु 99 वर्ष की लीज पर क्रय, विक्रय सहकारी समिति समदड़ी को आवंटित की गई। उक्त भूमि की कीमत बाबत सोसायटी द्वारा कुल रूपये 3,37,250/– जरिये चालान नंबर 135 दिनांक 28.05.2007 को जमा करवाये गये। तत्पश्चात श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेश कमांक एफ-12(3)(15) राज/77-81/9551 दिनांक 11.11.2009 के जरिये उक्त सोसायटी कय–विक्रय सहकारी समिति समदड़ी के स्थान पर बालोतरा को–आपरेटिव मार्केटिग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा का नाम परिवर्तन किया गया। जिसकी स्वीकृति हेतु पत्र कमांक प.12(3)(15)राज./77–81/1122 दिनांक 17.02.2009 को शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–3) विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया गया। तत्पश्चात नामातंरण संख्या 1477 दिनांक 05.04.2010 के द्वारा 14 विस्वा भूमि गैर मुमकिन बीज गोदाम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई, जो आज भी दर्ज है। कॉ–आपरेटिव सोसायटी के नाम भूमि जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित की गई थी एवं जिसका नामान्तरकरण रेकर्ड में सोसायटी के नाम गैर मुमकिन गोदाम के रूप में दर्ज है। जिसका तथ्य जमाबंदी खतौनी ग्राम समदड़ी के खाता नंबर 728 में दर्ज प्रविष्टि से ही स्पष्ट है। ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई खुली भूमि उपलब्ध नहीं थी, जिसका पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया जा सकें। जो आलोच्य पटटा जारी किया गया है वो भूमि मौके पर निगरानीकर्ता सोसायटी को आवंटितसुदा मालिकाना की है, इसलिये आलोच्य पटटा निरस्त करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलीभगत करते हुए प्रार्थी के उपरोक्त नाप, पड़ौस के परिसर में से कुछ भाग व सोसायटी के परिसर के उत्तर दिशा में स्थित सार्वजनिक गली की भूमि का पटटा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 को जारी करवा दिया, जो नियमों व वास्तविक स्थिति एवं तथ्यों की अनदेखी करते हुए जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो आलोच्य पटटा दिनांक 30.07.2005 को जारी किया गया, उसे जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को निजी लाभ पहुंचाने के आश्य से जारी किया गया है। उक्त पटटा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना नही की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पटटे में वर्णित शर्त अनुसार 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा है या पंचायती आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षों के दौरान संनिर्मित किया गया हो। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का पट्टा स्थल पर कोई कब्जा न तो कभी रहा और न है, और न ही अप्रार्थी संख्या 2 के अस्थायी या कच्चे मकान बने हुए है। आलोच्य पटटे में वर्णित स्थल अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा एवं स्वामित्व का न होकर कुछ भाग प्रार्थी सोसायटी के कब्जे स्वामित्व का है तथा कुछ भाग सार्वजनिक गली की भूमि का है। इस प्रकार उक्त पटटा नियम 157(1) की अनदेखी कर जारी किया गया है, जो खारिज होने योग्य है।

6. अप्रार्थी संख्या 2 बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

7. हमने उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी में दर्ज प्रविष्टि अनुसार खसरा संख्या 1169/248 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण गैर मुमकिन गोदाम जो बालोतरा कॉ–आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड बालोतरा 99 वर्षीय लीज दिनांक 01.03.1994 से हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत अभिलेख में संलग्न नजरी नक्शा में न तो सरपंच के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर किये हुए है। प्रपत्र संख्या 22 नियम 148 के तहत आपतियां आमन्त्रित चस्पा अवश्य किया हुआ है, लेकिन इस पर बना हुआ नजरी नक्शा का नाप अंकित नहीं किया गया है एवं निरीक्षण पप्रत्र में उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित दर भी अंकित नहीं है। अलावा इसके आलोच्य पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पर जारी किया जाना बताया है, जिस पर आवासीय मकान होना बताकर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना बताया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से स्वामित्व की पुष्टि बाबत् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए है। जिससे स्पष्ट है कि 50 वर्षों से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 का होना किसी भी रूप से साबित नहीं है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत के बैठक कार्यवाही रजिस्टर में न तो मिसल दायर दिनांक 05.09.2004 दर्ज है

जिला कलक्टर
बालोतरा

और न ही पट्टा जारी दिनांक 30.07.2005 अंकित है। साथ ही इसके उक्त पट्टे संबंधित मिसल में पट्टा फैसल दिनांक 20.10.2004 अंकित है, जबकि पत्रावली में संलग्न पट्टा संख्या 25 की प्रतिलिपि में आलोच्य पट्टा जारी दिनांक 30.07.2005 अंकित है एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर में 05.10.2004 के बाद दिनांक अंकित भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से उक्त पट्टे संबंधित आलोच्य अभिलेख तलब करने पर ग्राम पंचायत समदड़ी के पत्रांक 25 दिनांक 29.04.2024 में अवगत करवाया कि उक्त पट्टा संबंधी मूल पट्टा बूक ग्राम पंचायत के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना बताया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्णय कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं, जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 को जारी किया है, अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती देवी पत्नी मोहनलाल के नाम जारी पटटा संख्या 25 दिनांक 30.07.2005 को जारी किया गया को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा